

कार्यालय सचिव, जनभागीदारी समिति

महाविद्यालय:.....

क्रमांक:

दिनांक:

प्रति,

नाम:.....

पिता / पति :.....

पता:.....

विषय : आपके ऑनलाइन आवेदन के अनुक्रम में अतिथि व्याख्यान हेतु आमंत्रण की सूचना: प्रथम चरण ।

सन्दर्भ : आपका आवेदन क्रमांक..... दिनांक.....

---0---

विषयान्तर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आपको इस महाविद्यालय में विषय पर व्याख्यान देने हेतु सहमति हुई है। अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपको शैक्षणिक सत्र 2017-18 में अतिथि व्याख्यान हेतु आवश्यकता पड़ने पर महाविद्यालय में उपस्थित होगा।

आपका आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा :

1. यह कि आपको 45 मी. से 55 मी. के एक कालखंड के व्याख्यान के लिए रुपए 275/- तथा एक कार्यदिवस हेतु अधिकतम 825/- देय होगा। एक कार्य दिवस में अधिकतम 04 व्याख्यान तक आपको आवंटित किये जा सकते हैं।
2. यह आमंत्रण शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए ही सीमित होगा।
3. आपकी व्याख्यान देने की पात्रता किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव, जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त की जा सकेगी।
4. महाविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।
5. आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण पत्रों एवं पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने संबंधी प्रमाण/अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में कार्यरत न होने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. आवेदक को आवंटित महाविद्यालय में दिनांक 05 से 09 सितम्बर, 2017 (सायं 5 बजे तक) तक महाविद्यालय में उपस्थिति देनी होगी। निर्धारित तिथि तक उपस्थित न होने पर आमंत्रण स्वतः निरस्त हो जावेगा।
7. आवंटित महाविद्यालय में उपस्थित होने पर मूल प्रमाण पत्रों द्वारा पुनः सत्यापन करना होगा।
8. आपको शासन के आदेश क्र: 969/एफ-1-9/2016/38-1 दिनांक 8 अगस्त, 2016 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन व्याख्यान के लिए आमंत्रण किया जा रहा है।
9. यह आमंत्रण माननीय उच्च न्यायालय में अतिथि विद्वान आमंत्रण-प्रक्रिया से संबंधित याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय/आदेशों के अध्याधीन है।

सचिव

जनभागीदारी समिति,

.....

पृ० क्रमांक

दिनांक :

प्रतिलिपि:

1. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, संभाग, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. कार्यालयीन प्रति

सचिव

जनभागीदारी समिति,

.....